



न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 138/2017


- 1 इन्द्राज सिंह
- 2 राकेश सैनी पुत्रगण स्व. श्री गोविन्दराम उर्फ गोमाराम जाति माली निवासीगण पापड़ाकलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
- 3 तीजा देवी पुत्री स्व. श्री गोविन्दराम पत्नी गीगराज जाति माली निवासी ठाकरोड़ी तन पौख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
- 4 मेवा देवी पुत्री स्व. श्री गोविन्दराम पत्नी रोहिताश जाति माली निवासी ठाकरोड़ी तन पौख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
- 5 बिमला देवी पुत्री स्व. श्री गोविन्दराम पत्नी नानूराम जाति माली निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
- 6 मन्नी देवी पुत्री स्व. श्री गोविन्दराम पत्नी राजेन्द्र प्रसाद निवासी निर्वाण की नंगली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
- 7 विमला देवी पुत्री स्व. श्री गोविन्दराम पत्नी धर्मपाल निवासी निर्वाण की नंगली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
- 8 सुनीता देवी पुत्री स्व. श्री गोविन्दराम पत्नी दिनेश कुमार सैनी निवासी छापोली तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
- 9 बनारसी देवी पत्नी स्व. श्री गोविन्दराम जाति माली निवासी पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं। राज.।

अपीलांटस

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोंडेन्टस


अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.05.2016 द्वारा अदालत
मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी प्रकरण सरकार
बनाम गोविन्दा मु.नं. 89/2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :


1. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट

—निर्णय—

दिनांक:— 8/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 89/2016 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पापड़ा कलां की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय जो अपीलान्टस 1 लगायत 8 के पिता व अपीलान्ट संख्या 9 के पति स्व. गोविन्दा पुत्र धोकल की खातेदरी की भूमि है। इस भूमि को पहले अपीलान्टस के पूर्व काश्त करते हैं, और अपीलान्टस की पूर्वजों की मृत्यु के बाद अपीलान्टस को विरासतन प्राप्त हुई जिस पर दोनों फसले रबी व खरीब की फसल काश्त कर अपना व अपने परिवार का जीवीकोपार्जन करते हैं। इसके बावजूद भी रेस्पोजेन्ट ने एक वेग प्रार्थना पत्र धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आधारहीन तथ्यों पर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष पेशकर इसका निर्णय एकपक्षीय कैम्प कोर्ट पापड़ा कलां में करवाकर अपीलान्टस की पैतृक खातेदारी की भूमि को दिनांक 26.05.2016 को सिवायचक घोषित करवा ली। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।


अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्थान अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प सुन्धुन)



बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट नें तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया व उक्त निर्णय कैम्प कोर्ट पापड़ा कलां में अपीलान्टस की अनुपस्थिति में किया गया है। लोक अदालत में वो ही निर्णय किये जाते हैं जो दोनों पक्षकारों की सहमति से तय हो। अगर मेरिट पर कोई निर्णय पारित किया जाता है तो दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर देकर ही पारित किया जाने का प्रावधानों की अनदेखी कर अपनी मनमर्जी से रिकार्डेड खातेदार को उसकी खातेदारी से महरूम कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अपीलान्टस ने वर्तमान में अपनी खातेदारी की भूमि पर बाजरे की फसल काशत कर रखी है। अपीलान्टस की जीवीकोपार्जन का मात्र साधन कृषि भूमि ही है। इसके अलावा अपीलान्टस के पास अपनी आजीविका चलाने का कोई अन्य साधन नहीं है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर विश्वास कर विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को बिना सुने निर्णय पारित करने में भुल कानूनी की है। अपीलान्टस अपनी खातेदारी भूमि को अपने पिता के समय से 60-70 वर्षों से काशत कर अपनी आजीविका चला रहा है। उक्त भूमि का समय-समय पर लगान अदा कर रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसको उसकी स्वयं की खातेदारी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अपीलान्टस के पिता की मृत्यु दिनांक 08.11.2023 को हो गई थी और उक्त दावा दिनांक 01.04.2016 को मरे हुए व्यक्ति के विरुद्ध पेशकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है उक्त निर्णय प्रारम्भ से ही शुन्य है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार उदयपुरवाटी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में विवादित भूमि खसरा नम्बर 55 वाके ग्राम पापड़ा कलां में मौके पर खनन किया हुआ है। मौके पर खनन किया हुआ पाया गया तथा जमीन उबड़ खाबड़ व लगभग 20-25 फीट के खड्डे बने हुये हैं। उक्त खसरा नम्बर को कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है। खातेदारान द्वारा बिना भू-रूपान्तरण करवाये ही

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्डुनू)



भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरित है। भूमि का इस प्रकार अवैध रूप से बजरी दोहन हेतु उपयोग कृषि प्रयोज्य रकबे को कम करेगा तथा भूमि के स्वरूप में असंतुलित परिवर्तन करेगा। खातेदार द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में निम्नलिखित विधिक त्रुटियां पाई गई है।

- 1 प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तामील की प्रक्रिया विधि सम्मत तरीके से संपादित नहीं की गई है।
- 2 प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विवाद बिन्दु कायम नहीं किये गये है।
- 3 विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण के लिए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये है।
- 4 पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय निम्न विधिक बिन्दुओं की पालना नहीं की गई है।

(अ) स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है।

(ब) पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा नहीं बनाया गया है। इसके अभाव में खनन की गई भूमि के रकबे का आंकलन नहीं हो सकता है।


अनिल कुमार II RAS
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर (कैम्प इन्डुस्ट्र)



(स) सहखातेदारी की भूमि में नजरी नक्शे के अभाव में किस पक्षकार द्वारा कितनी भूमि, कितने रकबे में खनन किया गया है। यह निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

(द) खनन की गई भूमि के फोटोग्राफ/गुगल मैप भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।

5 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत कृषि भूमि में खनन किये गये तत्व(खनिज) का पंचनामा तैयार नहीं किया गया है, जो कि माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाना होता है, ना ही पक्षकारों को शास्ति का नोटिस दिया गया।


6 पत्रावली पर खनन किये गये खनिज की जब्ती की फर्द तैयार नहीं की गई है।

7 खनन के संदर्भ में खान विभाग को सूचना दिये जाने का दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

8 अवैध खनन के संदर्भ में माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से पंचनामा तैयार करवाकर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। निर्णय में विवेचित अन्य बिन्दुओं की भी पालना कर संपूर्ण तथ्यों को पुनः निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार विचारण न्यायालय को किसी भी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने से पूर्व तहसीलदार भूमिधारक से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक बिन्दुओं की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि निर्णय में विवेचित बिन्दुओं की आवश्यक रूप से पालना कर, अपीलान्त को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण


अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुन)



में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय आगामी दो माह में आवश्यक रूप से पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 21/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II RAS)
 अनिल कुमार II RAS
 (अनिल कुमार प्रबन्ध अधिकारी एवं
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर (कैम्प इन्डियन)
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
 सीकर